भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4178

(दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किया गया व्यय

4178. सुश्री इकरा चौधरीः
श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्रीमती महुआ मोइत्राः
श्री पुष्पेंद्र सरोजः
श्री नीरज मौर्यः
एडवोकेट प्रिया सरोजः
श्री देवेश शाक्यः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से विभिन्न प्लेटफार्मों पर सरकारी योजनाओं और नीतियों के विज्ञापनों पर किए गए कुल व्यय का वर्षवार, योजनावार, प्रिंट, टीवी, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मवार, मंत्रालयवार और अभियानवार ब्यौरा क्या है, साथ ही इसके लिए आवंटित निधि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पैनल में शामिल मीडिया संगठनों की संख्या कितनी है;

(ग) कुल विज्ञापन व्यय में शीर्ष 10, शीर्ष 20 और शेष संगठनों का वर्षवार हिस्सा कितना है, साथ ही इस आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से सरकारी नीतियों और योजनाओं के विज्ञापन पर व्यय की गई धनराशि के संदर्भ में शीर्ष 10 समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में विज्ञापन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो इसके प्रशासनिक कारण क्या हैं;

(च) विज्ञापन आवंटन में पक्षपात, एकाधिकार या पारदर्शिता की कमी से संबंधित प्राप्त संपरीक्षागत टिप्पणियों, संसदीय प्रश्नों, शिकायतों और औपचारिक अभ्यावेदनों की कुल संख्या कितनी है; और

(छ) सरकारी विज्ञापनों के निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई सुधारात्मक नीति और पारदर्शिता उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (छ): सरकार, केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना का प्रसार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक सरकार की नीतियों/स्कीमों से अवगत हों और उनसे लाभान्वित हो सकें।

सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के विज्ञापनों पर व्यय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

केन्द्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर विभिन्न मीडिया एजेंसियों को पैनल में शामिल करता है। पैनल में शामिल एजेंसियों की सूची परिवर्तनशील प्रकृति की है और नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।

वर्ष-वार विज्ञापन व्यय का विवरण सीबीसी की वेबसाइट अर्थात www.davp.nic.in पर उपलब्ध है। यह आवंटन मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023 से सरकारी नीतियों और स्कीमों के विज्ञापन पर सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संदर्भ में सभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का वर्षवार विवरण सीबीसी की वेबसाइट अर्थात www.davp.nic.in पर भी उपलब्ध है।

सरकार ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अभ्यावेदन, लेखा परीक्षा टिप्पणियों, शिकायतों को इन नीतियों के अनुसार निपटाया जाता है। ये नीतिगत दिशानिर्देश सीबीसी की वेबसाइट अर्थात www.davp.nic.in पर उपलब्ध हैं।
